6/16 पत्रावली को अतिलोक [illegible] अदालत/कैम्प कोर्ट में [illegible] योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 29/6/16 को पेश हो।

29/6/16

पत्र. क्रय नोट में पेश हुई प्रार्थी का मुल्तवद (वैधिक प्रतिनिधि) का प्रार्थना पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रा. नक्शा से क्रय किया हुआ भवन स्वीकृत नक्शे में बना। वैधिक क्रय नोट में लगाया जाय।

[illegible]
(नागौर)

Scanned by CamScanner